न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 32 / 2018

दीनदयाल पुत्र घनश्याम बागरी ब्राहम्ण निवासी विडयारी तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1– मुस0 पिंकी पत्नि कृष्ण कुमार जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी खटनावली तहसील बयाना

.....अप्रार्थी असल

2–पंकज पुत्र दीनदयाल । जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी विडयारी तहसील

3–राहुल पुत्र दीनदयाल । बयाना जिला भरतपुर

4–चिंकी पुत्री दीनदयाल ।

.....अप्रार्थी तरतीवी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्व उपखण्ड अधिकारी बयाना श्री संतोष मीना व मुकदमें पिंकी बनाम दीनदयाल वगे. मु0न0 183 / 2008 दावा अंतर्गत धारा 88,89 व188 आर.टी.एक्ट

———————

निर्णय दिनांक 28.6.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी एक दावा उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी पिंकी ने खुले में धमकी दी है कि एस.डी.ओ. साहब उसके मिलने वाले हैं, मुकदमा हरहालत में अपने पक्ष में करायेगी। उपखण्ड अधिकारी बयाना का रवैया भी प्रार्थी के प्रति ठीक नहीं है। प्रकरण में एक दो दिन की तारीख पेशी देते हैं। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बयाना से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना में विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलबी की गई। उपखण्ड अधिकारी बयाना से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि उपखण्ड अधिकारी बयाना का रवैया प्रार्थी के प्रति खराब है। अप्रार्थी पिंकी ने भी धमकी दी है कि उपखण्ड अधिकारी से जान पहचाने है, दावा को अपने पक्ष में निर्णय करायेगी। एस.डी.ओ.साहब भी प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशी बहस सुनने पर आमदा है। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी बयाना से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अतः उपखण्ड अधिकारी बयाना के यहॉ विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी ने झूठे आरोप लगाये गये हैं। प्रकरण अन्तिम बहस में लगा हुआ है। प्रार्थी बहस नहीं करना चाहते हैं। प्रकरण को देरीना करने की बजह से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी ने झुठे बनवाटी तथ्य अंकित किये हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ. बयाना से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने न्याय के प्रति शंका जाहिर की है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। एस.डी.ओ.बयाना के न्यायालय में विचाराधीन दावा पिंकी बनाम दीनदयाल वगे. न0 183/2008 अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहॉ मुन्तकिली किया जाता है। निर्णय की प्रति एस.डी.ओ. बयाना एवं एस.डी.ओ. भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्देश नायक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official